

राज्य उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर) का कैम्प आयोजित करने के लिए निम्न अधिकाारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का कैम्प आयोजित

:- आदेश :-

के खाली इकस्ती पार्थना पर एवं पटवारी श्री. व. भू. अ. नि. श्री. को रिपोर्ट तथा रामगढ़-शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी में खाली संख्या 170/1956 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को रूप से शिर्षक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

आदेश (शिर्षक प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)	वर्तमान प्रविष्टि (अर्थक प्रविष्टि)	खाली संख्या	नाम
खाली संख्या 170/1956	खाली संख्या 170/1956	खाली संख्या 170/1956	श्री. व. भू. अ. नि.
खाली संख्या 170/1956	खाली संख्या 170/1956	खाली संख्या 170/1956	श्री. व. भू. अ. नि.

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर) का कैम्प आयोजित करने के लिए निम्न अधिकाारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का कैम्प आयोजित

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर) का कैम्प आयोजित करने के लिए निम्न अधिकाारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का कैम्प आयोजित

1057  
14.5.15  
1055

दरामद-शेखावाटी को भुजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना

श्री. व. भू. अ. नि. श्री. का कैम्प आयोजित